



बड़ौदा यू.पी. बैंक Baroda U.P. Bank

प्रधान कार्यालय: बुद्ध बिहार व्यावसायिक योजना, तारामंडल, गोरखपुर- 273016

क्षेत्रीय कार्यालय: गौरा बारिक, अमहट, लखनऊ रोड, सुल्तानपुर- 228007

सार्वजनिक बिक्री
नीलामी सूचना/
नीलामी तिथि 24.08.2023
(अचल सम्पत्तियों हेतु)

अचल सम्पत्तियों के लिए सार्वजनिक नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों की प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4)

(सरफेसी अधिनियम, 2002) साथ में पठित प्रतिभूति हित (नियमों, 2002 के नियम 6(2) और / या

नियम 8 (6) के अधीन नीलामी सूचना

जैसाकि, उक्त कथित सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अधीन और कथित अधिनियम की धारा 13 (2) में पठित नियम 3 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बड़ौदा यू.पी. बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक मांग सूचना जारी की जिसमें तथा कर्जदार (सें) और गारंटीदाता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) को कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर कथित सूचना के अनुसार राशि का भुगतान करने को कहा गया और जैसाकि कर्जदार (सें) / गारंटीदाता (ओं) बंधकदाता (ओं) ने राशि का भुगतान नहीं किया और अतः अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम की धारा 13 (4) साथ में पठित नियमों के नियम 4 और/या नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पत्ति / संपत्तियों (इसके बाद कथित सम्पत्तियों नाम से निर्दिष्ट का कब्जा ले लिया है जैसा कि अधोहस्ताक्षरी, सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) (ए) के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में कथित सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा बैंकों के बकायों की वसूली का प्रस्ताव रखते हैं। एतद्वारा जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (सें) और गारंटीदाता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) को सूचना दी जाती है कि निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति को प्रतिभूत लेनदारों के पास बंधक / प्रभारित पडी है, जिसका रचनात्मक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. बैंक, प्रतिभूत लेनदार द्वारा ले लिया गया है, जिसे निम्नांकित बकायों की वसूली हेतु निम्नांकित सारणी में अंकितानुसार तिथि को "जैसा है जहां है, जैसा है जो है" और "जो है वही है" आधार पर बेचा जायेगा। जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (सें) और गारंटीदाता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) को एतद्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन निम्नांकित अचल सम्पत्तियों के लिए बोली / निविदाएं / कोटेशन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसलिए, इच्छुक व्यक्तियों / बोलीदाताओं को 23.08.2023 को या उससे पहले, बड़ौदा यू.पी. बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय: गौरा बारिक, अमहट, लखनऊ रोड, सुल्तानपुर में मुहरबन्द लिफाफे में, निम्नांकित नियम व शर्तों को पूरा करके अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। निविदा 24.08.2023 को खोली जायेगी।

क्र. सं०	बकायेदार/जमानतदार का नाम, पता व खाता संख्या	सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि/ अधिग्रहण तिथि	बकाया धनराशि (रु०)	आरक्षित धनराशि/ अग्रिम धनराशि/
----------	---	-------------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------------------

शाखा : रजवाड़े रामपुर खाता सं०-51600600000441

1.	ऋणकर्ता:- श्रीमती पूनम तिवारी पत्नी श्री रमेश तिवारी, पता:- ग्राम सरायमंगा पोस्ट- बरुआत्तारी जिला- सुल्तानपुर, जमानतकर्ता:- 1. श्री लालता प्रसाद पुत्र श्री रामखेलावन, आवासीय पता- ग्राम: अहिरौला पोस्ट- बरुआत्तारी, जिला- सुल्तानपुर, 2. श्री हीरा लाल पुत्र श्री राम सुभे, आवासीय पता- ग्राम: अहिरौला पोस्ट- बरुआत्तारी, जिला- सुल्तानपुर, 3. श्री रमेश कुमार पुत्र श्री लालता प्रसाद आवासीय पता- ग्राम: अहिरौला पोस्ट- बरुआत्तारी, जिला- सुल्तानपुर, 4. श्री रमेश तिवारी पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण आवासीय पता- ग्राम: सरायमंगा पोस्ट- बरुआत्तारी, जिला- सुल्तानपुर,	बंधक रखी गयी भूमि का विवरण: मूल बिक्री विलेख संख्या 2022 दिनांक 29.05.2015, कुल क्षेत्रफल 179.83 वर्गमीटर जो ग्राम सराय मंगा परगना- चन्दा तहसील- लंभुआ, जिला- सुल्तानपुर में स्थित है मालिक- श्री रमेश तिवारी उर्फ नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण के नाम पर है चौहद्दी:- पूर्व- नाला वधू बाग श्री नरेन्द्र कुमार उर्फ रमेश तिवारी का, पश्चिम-श्री जगदीश नारायण तिवारी का घर उत्तर: रोड गोपीनाथपुर से किन्दीपुर, दक्षिण: भूमि श्री अशोक तिवारी, वधू रास्ता।	मांग सूचना की तिथि 08.07.2016 अधिग्रहण सूचना की तिथि 31.07.2017	₹ 9,10,622/- 29.02.2016 को + ब्याज 29.02.2016 तक	आरक्षित धनराशि ₹ 3,97,800/- अग्रिम धनराशि ₹ 39,780/-
----	--	---	--	---	---

शाखा : सुल्तानपुर खाता सं०- 51030600000916

2.	ऋणकर्ता:- 1. श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी स्व० श्री लाल जी पटवा 2. श्री राजेश कुमार पुत्र स्व० श्री लाल जी पटवा पता:- मकान संख्या 2263/4, नवीपुर शास्त्री नगर, सुल्तानपुर जमानतकर्ता:- 1. श्री विजय कौशल पुत्र श्री वासदेव पता:- गडह खुर्द, भरजपुर, सुल्तानपुर 2. श्री अमरखाल पुत्र श्री रूपचंद पता:- मकान नं० 1509, शास्त्री नगर, सुल्तानपुर	बंधक भूमि का विवरण: प्लॉट संख्या 153/2, पुराना मकान नं० 2256/ 1, नया मकान नं० 2263/4, मूल बिक्री विलेख संख्या 5030 दिनांक 25.06.2015 कुल क्षेत्रफल- 10599वर्गफुट जो मोहल्ला नवीपुर (शास्त्री नगर) परगना- मीरनपुर, तहसील- सदर जिला- सुल्तानपुर में स्थित है मालिक- श्री स्व० लाल जी पटवा पुत्र ऑंकार नाथ पटवा के नाम पर है चौहद्दी: बिक्री विलेख की संख्या- पूर्व- श्रीमती उर्मिला सिंह का प्लॉट, पश्चिम: श्री लाल बहादुर का प्लॉट, उत्तर: हाता क्रेता, दक्षिण:रास्ता	मांग सूचना की तिथि 19.03.2018 अधिग्रहण सूचना की तिथि 17.07.2018	₹ 7,09,541/- 16.03.2018 को + ब्याज 30.06.2017 तक	आरक्षित धनराशि ₹ 11,57,400/- अग्रिम धनराशि ₹ 1,15,740/-
----	--	---	--	---	--

शाखा : सुल्तानपुर खाता सं०- 5103050000168

3.	ऋणकर्ता:- मेसर्स न्यू दुपट्टा महल, प्रो०- श्री अयाज अहमद पुत्र श्री नासिर खान पता:- हिलाल मार्केट, गन्दा नाला रोड, तहसील-जिला-सुल्तानपुर उ० प्र० जमानतकर्ता:- 1. श्रीमती महारुन निशा पत्नी श्री नासिर खान पता- कस्बा सुल्तानपुर, परगना- बरोसा, तहसील- सदर जिला- सुल्तानपुर 2. श्री लाल मोहम्मद पुत्र श्री नासिर खान पता- कस्बा के एन आई परगना- बरोसा, तहसील- सदर, जिला- सुल्तानपुर 3. श्री मोहम्मद अनीस खान पुत्र वकील खान पता-मकान संख्या-192, दरियापुर (आजाद नगर) तहसील- सदर, जिला- सुल्तानपुर	बंधक भूमि का विवरण: मूल बिक्री विलेख संख्या 1176 दिनांक- 04.02.1978 कुल क्षेत्रफल 0.086 हेक्टेयर, जो ग्राम- कस्बा सुल्तानपुर परगना- बरोसा, तहसील- सदर, जिला- सुल्तानपुर में स्थित है मालिक- श्रीमती महारुन निशा पत्नी श्री नासिर खान के नाम पर है चौहद्दी:- पूर्व- रोड 12 फुट, पश्चिम: गली के बाद वी/ओ केसरयानी, उत्तर: वी/ओ श्रीमती अख्तारुल निशा, दक्षिण: वी/ओ श्री महमूद खान	मांग सूचना की तिथि 19.03.2018 अधिग्रहण सूचना की तिथि 17.07.2018	₹ 5,34,536/- 03.01.2018 को + ब्याज 31.08.2017 तक	आरक्षित धनराशि ₹ 97,54,200/- अग्रिम धनराशि ₹ 9,75,420/-
----	--	--	--	---	--

शाखा : छित्तेपट्टी खाता सं०-51150500001397

4.	ऋणकर्ता- मेसर्स शिव ट्रेडर्स प्रो०- शिव मोहन उपाध्याय पुत्र अवधेश कुमार उपाध्याय पता:- ग्राम कंथेथा गोसरपुर पोस्ट- छित्तेपट्टी, तहसील- जयसिंहपुर जिला: सुल्तानपुर उ.प्र. पिन 228131 जमानतकर्ता:- 1. कृष्णा कुमारी पत्नी शिव मोहन उपाध्याय। पता:- ग्राम कंथेथा गोसरपुर पोस्ट- छित्तेपट्टी, तहसील- जयसिंहपुर जिला: सुल्तानपुर उ.प्र. पिन: 228131 2. श्री. ध्रुव नारायण सिंह पुत्र सूर्यभान सिंह। पता:- ग्राम कंथेथा गोसरपुर पोस्ट- छित्तेपट्टी, तहसील- जयसिंहपुर जिला: सुल्तानपुर उ.प्र. पिन: 228131 3. कौशलचन्द्र प्रताप सिंह पुत्र पंच बहादुर सिंह पता:- खलिसपुर दुर्गा	सभी भाग व पार्सल से मिलकर सम्पत्ति का प्लॉट नं० 143,144, क्षेत्रफल-7326 वर्गफुट विक्रय विलेख संख्या 2874 दिनांक 08.10.2009 ग्राम भेखीपुर परगना: अल्देमऊ तहसील: कादीपुर जिला: सुल्तानपुर उ० प्र० में स्थित है मालिक- कृष्णा कुमारी पत्नी शिव मोहन उपाध्याय ग्राम कंथेथा गोसरपुर पोस्ट: छित्तेपट्टी, तहसील- जयसिंहपुर जिला: सुल्तानपुर उ.प्र. चौहद्दी पूर्व: भगवती प्रसाद की भूमि, पश्चिम: अशोक कुमार की भूमि, उत्तर: रामसुभे रमा की भूमि, दक्षिण: शिव मोहन उपाध्याय की भूमि।	मांग सूचना की तिथि 15.09.2021 अधिग्रहण सूचना की तिथि 21.01.2022	₹ 11,51,416/- 01.09.2021 को + ब्याज 1,41,200/-	आरक्षित धनराशि ₹ 14,12,000/- अग्रिम धनराशि ₹ 1,41,200/-
----	---	---	--	---	--

शाखा : अलीपुर सरैंव खाता सं०-50920500001667

5.	ऋणकर्ता-जयप्रकाश मोर्य पुत्र राज देव मोर्य पता: ग्राम मरुड़ किशुनदासपुर, पोस्ट पौधन रामपुर जिला सुल्तानपुर उ० प्र० पिन-228171 जमानतकर्ता:- 1. श्री नाथ पुत्र राम अवध पता: ग्राम मरुड़ किशुनदासपुर 2. देव नरायण पुत्र राम अवध पता: ग्राम मरुड़ किशुनदासपुर	बंधक भूमि का विवरण: मूल विक्रय पत्र संख्या 3897 दिनांक:25.11.2013 प्लॉट नं०871, क्षेत्रफल 0.019 हेक्टेयर, जो ग्राम मरुड़ किशुनदासपुर, परगना अल्देमऊ तहसील कादीपुरजिला सुल्तानपुर, उ०प्र० में स्थित है मालिक जय प्रकाश मोर्य के नाम पर है चौहद्दी: पूर्व: बेचे गए प्लॉट का बाकी क्षेत्र, पश्चिम- दूधनाथ का प्लॉट, उत्तर- राम करण का प्लॉट, दक्षिण- लिंक रोड- श्री नाथ मोर्य का प्लॉट	मांग सूचना की तिथि 13.01.2021 अधिग्रहण सूचना की तिथि 03.12.2021	₹ 6,66,567/- 30.11.2020 को + ब्याज 6,85,00/-	आरक्षित धनराशि ₹ 6,85,000/- अग्रिम धनराशि ₹ 6,85,00/-
----	---	--	--	---	--

शाखा : धनपतगंज खाता सं०-50750500001289

6.	ऋणकर्ता- मेसर्स सागर रेडीमेड व जनरल स्टोर प्रो० श्री राम सागर पुत्र श्री मुन्ना लाल पता: ग्राम लोहंगी (धनपतगंज बाजार) पोस्ट अतरसुमा, जिला: सुल्तानपुर पिन: 228171	बंधक भूमि का विवरण: मूल विक्रय विलेख दिनांक:02.06.2006 विलेख संख्या 3166, क्षेत्रफल 1248 वर्ग फुट मकान नं०280, जो ग्राम लोहंगी (धनपतगंज बाजार) पोस्ट अतरसुमा जिला सुल्तानपुर उ० प्र० में स्थित है मालिक श्रीमती माला पत्नी राम सागर के नाम पर है चौहद्दी: पूर्व- राम गोपाल का मकान, पश्चिम- लालजी उपाध्याय का मकान, उत्तर-कच्ची सड़क, दक्षिण- पक्की सड़क कूरुमार हलियापुर	मांग सूचना की तिथि 05.02.2020 अधिग्रहण सूचना की तिथि 30.11.2021	₹ 13,08,361/- 31.01.2020 को + ब्याज 2,23,760/-	आरक्षित धनराशि ₹ 22,37,600/- अग्रिम धनराशि ₹ 2,23,760/-
----	---	--	--	---	--

शाखा : बंधुवा कला खाता सं०- 51020500001271

7.	ऋणकर्ता- मेसर्स विजय टैडर्स प्रो० श्री विजय शंकर यादव पुत्र स्व० सिधाराम ग्राम सरैया पोस्ट बंधुवा कला तहसील- सदर जिला सुल्तानपुर उ० प्र० पिन-227808 जमानतकर्ता:- 1. श्री बृजलाल पुत्र हरि किसुन पता: लोहार पश्चिम, पोस्ट बन्केपुर तहसील-सदर, जिला: सुल्तानपुर उ.प्र. पिन 227808 2. राम सजीवन पुत्र राम लखन पता: ग्राम सरैया पोस्ट- बंधुवा कला, तहसील-सदर जिला: सुल्तानपुर उ.प्र. पिन- 227808 3. करमैता पत्नी स्वर्गीय सियाराम पता: ग्राम सरैया पोस्ट बंधुवा कला तहसील- सदर जिला सुल्तानपुर उ० प्र० पिन-227808	बंधक भूमि का विवरण: मूल विक्रय विलेख संख्या 1422 दिनांक:17.03.2009 प्लॉट नं० 286, क्षेत्रफल 5320 वर्ग फुट जो ग्राम सरैया परगना मीरनपुर तहसील सदर जिला सुल्तानपुर उ० प्र० में स्थित है मालिक श्री करमैता पत्नी स्वर्गीय सियाराम के नाम पर है चौहद्दी: पूर्व- राम कृपाल की भूमि, पश्चिम-वेद प्रकाश की भूमि, उत्तर- सड़क राजमार्ग सुल्तानपुर रायबरेली दक्षिण-चक मार्ग	मांग सूचना की तिथि 15.09.2021 अधिग्रहण सूचना की तिथि 20.01.2022	₹ 6,32,394/- 01.09.2021 को + ब्याज 1,21,440/-	आरक्षित धनराशि ₹ 12,14,400/- अग्रिम धनराशि ₹ 1,21,440/-
----	---	---	--	--	--

बिक्री के नियम एवं शर्तों: 1. इच्छुक बोलीदाताओं को मुहरबन्द लिफाफे में अपनी बोली जमा करनी है। (लिफाफे के ऊपर स्पष्टतः और पठनीय बोली क्रम सं. एवं प्रकारान की तिथि वर्णित होनी चाहिए। 2. बोलीदाताओं को बोली के साथ अग्रिम में सुल्तानपुर में देययोग्य एवं प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. बैंक के पक्ष में डीडी / बैंकर्स चेक के रूप में जमा धरोहर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य का 10% जमा / संलग्न करना होगा। सर्वोच्च बोली मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम की नहीं होनी चाहिए) को सफल बोलीदाता के रूप में माना जाएगा। और शेष सफल बोलीदाताओं की ईएमडी एक सप्ताह के अन्दर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 3. सफल बोलीदाता को डीडी / बैंकर्स चेक के रूप में नौ दिनों के भीतर (ईएमडी शामिल रहना) का 25% जमा करना होगा और शेष अनिवार्य रूप से बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं उनके द्वारा पूर्व में जमा की गयी रकम जब्त कर ली जाएगी। 4. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये या पूर्व सूचना दिये बोली/ सर्वोच्च बोली को स्वीकार / अस्वीकार / रद्द / निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्राधिकृत अधिकारी बिक्री/ नीलामी की तिथि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 5. प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के बकाया प्रभारों/ देनदारियों/ भार / करों/ सरकारी बकायों और अन्य पक्ष के दावों व बकायों के लिए जवाबदेह नहीं होंगे। 6. सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में किसी भी रकम पर बेचा नहीं जाएगा। सफल बोलीदाता को सभी स्टाप्ड ड्यूटी एवं वजीकरण शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। 7. यदि ऐसा पाया जाता है कि दो या अधिक बोलीदाताओं का एक समान बोली रकम है तो प्राधिकृत अधिकारी उनके मध्य पुनः नयी बोली आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 8. बोली / बिक्री बैंक की पुष्टि के अधीन होगी। सम्पत्ति को "जैसा है जहां है", "जैसा है जो कुछ है" और "वहां जो कुछ भी है" आधार पर बेचा जा रहा है। 9. अगर कोई कर्जदार / गारंटीदाता / बंधककर्ता नीलामी से पहले बैंक को पूर्ण बकाये का भुगतान कर देता है तो नीलामी को रोक दिया जाएगा। हालांकि कर्जदार / गारंटीदाता / बंधककर्ता के पास नीलामी से पूर्व प्रतिभूत आस्तियों को निर्गत करने का अवसर होगा जो प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 13 की उप धारा (8) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन संशोधन नियमों 2002 द्वारा) के अधीन बकाया पूर्ण राशि एवं प्रभारों के भुगतान के अधीन होगा। 10. यह बोलीदाताओं की एकमात्र जिम्मेदारी है कि ये सम्पत्तियों के संबंध में संतुष्ट एवं पुष्ट हो लें। वे अपराह्न 12:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस पर संबंधित शाखा से समय लेकर सम्पत्ति को देख / निरीक्षण कर सकते हैं। 11. यह बिक्री नोटिस कर्जदारों / गारंटीकर्ता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) के लिए विशेष रूप से तथा जनता / सर्वसाधारण के लिए सामान्य रूप से है। 12. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदारों की वेबसाइट में प्रदान किए गए लिंक यानी <https://www.barodaupbank.com/sarfaesinotice.php>

सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन 30 दिनों की बिक्री सूचना

कर्जदारों/ गारंटीदाताओं/ कानूनी वारिसों/ बंधककर्ता (ओं) को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी से पूर्व बैंक को उपरोक्त वर्णित सभी बकाये का भुगतान करें, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बंधक सम्पत्ति को वर्णित तिथि को बेच दिया जाएगा और अगर कोई अन्य बकाया शेष होगा तो ऐसे उचित ब्याज प्रभारों एवं व्यय के साथ उनसे वसूल किया जाएगा।

दिनांक:- 14.07.2023 स्थान:- सुल्तानपुर प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. बैंक